

मत्स्य निदेशालय

झारखण्ड, राँची

सं0सं0-म0नि0-11-उ0यो0-90/2021-22/ 10 (आ) /मत्स्य/राँची/दिनांक 01.01.2025

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य के सचिव,  
सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची।

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में माँग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40) अंतर्गत मो0 4839.36 लाख (अड़तालीस करोड़ उन्चालीस लाख छत्तीस हजार) रु0 मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग- सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0 45 रा0 (वि0) दिनांक 27.12.2024, ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 1948 एवं 1949 तथा आवंटन सं0 66 आ0 (वि0) दिनांक 01.01.2025 ऑन-लाईन आवंटन सं0-3738, 3739, 3740, 3741, 3742 तथा 3744।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक 45 रा0 (वि0) दिनांक 27.12.2024, ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 1948 एवं 1949 तथा आवंटन सं0 66 आ0 (वि0) दिनांक 01.01.2025 ऑन-लाईन आवंटन सं0-3738, 3739, 3740, 3741, 3742 तथा 3744 के आलोक में माँग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40) अंतर्गत मो0 4839.36 लाख (अड़तालीस करोड़ उन्चालीस लाख छत्तीस हजार) रु0 मात्र आवंटित किया जाता है।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में माँग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत आवंटन :

स्थापना का नाम	क्रम0	विस्तृत शीर्ष	आवंटित राशि
		<b>लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन</b>	
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची	1	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050010177010649	148758500
	2	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649	99172300
		<b>लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना</b>	
	3	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649	48173000
	4	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	32115400
		<b>लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना</b>	
	5	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649	93430100
	6	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649	62286700
		<b>कुल आवंटन</b>	<b>483936000</b>

कुल आवंटन मो0 अड़तालीस करोड़ उन्चालीस लाख छत्तीस हजार रु0 मात्र।

3. इस आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य के सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे जो राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से करते हुए State Link Scheme से संबंधित DDO को राशि का Limit जारी करेंगे। Limit के आधार पर संबंधित DDO द्वारा राशि का व्यय SNA SPARSH Module के तहत सभी नियमों को अनुपालन करते हुए किया जाएगा।
4. विगत वर्षों में भारत सरकार से राशि विमुक्ति के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह आवंटन स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत मो0 4839.36 लाख (अड़तालीस करोड़ उन्चालीस लाख छत्तीस हजार) रु0 मात्र के विरुद्ध आवंटित है।
6. भारत सरकार, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्य पालन विभाग के पत्र सं0 F.No. J-01011/1/2020-Fy-(E17706) दि0 6<sup>th</sup> August 2024 से स्वीकृति प्राप्त है, एवं F.No. J-01011/1/2020-Fy-(E17706) दि0 22<sup>nd</sup> October 2024 द्वारा Mother Sanction केन्द्रांश के रूप में विमुक्ति आदेश प्राप्त है। स्वीकृत्यादेश सं0 45 रा0 (वि0) दिनांक 27.12.2024 के कडिकाओं का अक्षरशः पालन किया जाए।
7. (क) वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-23/बी.टी.ई.-11/2023-24/257/बजट दिनांक-21.03.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय की अनुमति प्राप्त है।  
(ख) आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि0, दिनांक-15.07.2003 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी की जाय।
8. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष के प्रत्येक तिमाही का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना संबंधित DDO का दायित्व होगा।
9. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 के आलोक में किया जाये। साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।
10. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग, विचलन तथा अनियमित निकासी व व्यय के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
11. योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो, इसका दृढ़ता से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
12. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि इस प्रयोजनार्थ अन्य स्रोत (जिला/अन्य विभाग/योजना) से राशि प्राप्त नहीं हो रही है।
13. कार्यों का भौतिक/वित्तीय उपलब्धि झारखण्ड सरकार की Website पर Post किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0-ऑनलाईन आवंटन

10 (370)  
01/01/2025

विश्वासभाजन

21/01/25

(एच0 एन0 द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.

सं०सं०-म०नि०-II-उ०यो०-९०/२०२१-२२/ १०(११०)/मत्स्य/राँची/दिनांक ०१-०१-२०२५  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/योजना एवं  
बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश सह  
SNA, PMMSY झारखण्ड, राँची/उप मत्स्य निदेशक (यो०) सह Nodel Officer,  
PMMSY को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

०१/०१/२५


निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.

सं०सं०-म०नि०-II-उ०यो०-९०/२०२१-२२/ १०(११०)/मत्स्य/राँची/दिनांक ०१-०१-२०२५  
प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड,  
राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची  
को सूचनार्थ प्रेषित।

०१/०१/२५

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.





## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Divisio

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - II/90/24-25/2nd/10

दिनांक - 01-Jan-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 53 24050010177010649 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 101 - अन्तर्देशीय मछली-पालन 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 01-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 06 - अनुदान <b>Central Scheme</b>  State Scheme : Central Scheme :	78915	DRNFSH007  SEEMA KUMARI KUJUR  SECTT TO DIR FISHERIES  49- आर्थिक सहायता	148,758,500.00  रुपये चौदह करोड सित्यासी लाख अठारवन हजार पाँच सौ
2	S 53 24050010177010649 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 101 - अन्तर्देशीय मछली-पालन 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 01-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 06 - अनुदान <b>Central Scheme (State Share)</b>  State Scheme : Central Scheme :	78918	DRNFSH007  SEEMA KUMARI KUJUR  SECTT TO DIR FISHERIES  49 - आर्थिक सहायता	99,172,300.00  रुपये नौ करोड इनकानवे लाख बहत्तर हजार तीन सौ
3	C 53 24050078977010649 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 01-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 06 - अनुदान <b>Central Scheme</b>  State Scheme : Central Scheme :	78917	DRNFSH007  SEEMA KUMARI KUJUR  SECTT TO DIR FISHERIES  49 - आर्थिक सहायता	48,173,000.00  रुपये चार करोड इक्क्यासी लाख तीहत्तर हजार

योग:

क्रमिक योग:

रुपये उन्तीस करोड इकसठ लाख तीन हजार आठ सौ

296,103,800.00

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR FISHERIES

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 53 24050078977010649 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 01-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 06 - अनुदान <b>Central Scheme (State Share)</b>  State Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA Sampada YOJANA(1848) Central Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA Sampada YOJANA (PMMSY)(3890)	78920	DRNFSH007  SEEMA KUMARI KUJUR  SECTT TO DIR FISHERIES  49 - आर्थिक सहायता	32,115,400.00  रुपये तीन करोड इक्कीस लाख पंद्रह हजार चार सौ
5	C 53 24050079677010649 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 01-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 06 - अनुदान <b>Central Scheme</b>  State Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA Sampada YOJANA(1848) Central Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA Sampada YOJANA (PMMSY)(3890)	78916	DRNFSH007  SEEMA KUMARI KUJUR  SECTT TO DIR FISHERIES  49 - आर्थिक सहायता	93,430,100.00  रुपये नौ करोड चौतीस लाख तीस हजार एक सौ
6	S 53 24050079677010649 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 01-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 06 - अनुदान <b>Central Scheme (State Share)</b>  State Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA Sampada YOJANA(1848) Central Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA Sampada YOJANA (PMMSY)(3890)	78919	DRNFSH007  SEEMA KUMARI KUJUR  SECTT TO DIR FISHERIES  49 - आर्थिक सहायता	62,286,700.00  रुपये छः करोड बाइस लाख दियासी हजार सात सौ
योग:				187,832,200.00
क्रमिक योग:				483,936,000.00

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR FISHERIES

वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)  
मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 101 - अन्तर्देशीय मछली-पालन & 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना  
मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना & 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना  
मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना & 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53C24050010177010649	53C24050078977010649	53C24050079677010649	53S24050010177010649	53S24050078977010649	53S24050079677010649	Total
1	2	3	4	5	आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता	12
1	Doranda	DRNFSH007	Seema Kumari Kujur	Sectt To Dir Fisheries	₹14,87,58,500.00 (78915)	₹4,81,73,000.00 (78917)	₹9,34,30,100.00 (78916)	₹9,91,72,300.00 (78918)	₹3,21,15,400.00 (78920)	₹6,22,86,700.00 (78919)	₹48,39,36,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹48,39,36,000.00 ( vMrkyhl djksM mupkyhl yk[k NRrhl gtkj ) रूपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

10 (3100)  
01/01/2025

01/01/25  
(H. N. DWIVEDI)  
DIRECTOR FISHERIES